



2026:AHC:49626-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3336/2026

आशुतोष कुमार श्रीवास्तव एवं 3 अन्य याचीगण

बनाम

भारत संघ एवं 19 अन्य विपक्षगण

याचीगण हेतु अधिवक्ता : अनिल कुमार, वसीम आलम

विपक्षी हेतु अधिवक्ता : एस.पी. सिंह, ए.एस.जी.आई. , कृष्णा अग्रवाल

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका चयनित उम्मीदवारों की पैनल सूची दिनांक 29.09.2025 और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2025 के विरुद्ध निर्देशित है।
2. याचीगण ने इस शिकायत के साथ अधिकरण का दरवाजा खटखटाया था कि विभिन्न धाराओं की पारस्परिक वरिष्ठता बनाए और प्रकाशित किए बिना और लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किए बिना, विपक्षियों द्वारा चयन के अगले चरणों यानी चिकित्सा परीक्षण की तिथि और मौखिक परीक्षा की घोषणा कर दी गई थी।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 10.09.2025 द्वारा निर्देशित किया था कि याचीगण को चिकित्सा परीक्षण के साथ-साथ मौखिक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
4. याचीगण को चिकित्सा परीक्षण और मौखिक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, जब मामला 12.11.2025 को अधिकरण के समक्ष आया, तो विपक्षियों की ओर से यह दलील दी गई कि याचीगण को चिकित्सा परीक्षण के साथ-साथ मौखिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दिए जाने के बाद घोषित पैनल में उनका चयन नहीं हुआ। उक्त दलीलों के आधार पर, अधिकरण ने मूल आवेदन को निष्प्रभावी हो जाने के कारण निस्तारित कर दिया, हालांकि, याचीगण को कानून के अनुसार एकीकृत वरिष्ठता के संबंध में उचित मंच के समक्ष अपनी शिकायत उठाने की स्वतंत्रता दी गई।
5. अब वर्तमान याचिका में, चयनित उम्मीदवारों की पैनल सूची और अधिकरण द्वारा पारित आदेश के संबंध में राहत का दावा किया गया है।
6. एक बार जब विपक्षियों द्वारा चयनित उम्मीदवारों की पैनल सूची घोषित कर दी गई थी, तो याचीगण को वरिष्ठता सूची की चुनौती से संबंधित मूल दलील (जो मूल आवेदन में उठाई गई थी) के साथ-साथ उक्त पैनल की वैधता पर सवाल उठाना आवश्यक था, और उक्त चुनौती को अधिकरण के समक्ष अच्छी तरह से बनाए रखा जा सकता था।
7. अधिकरण का दरवाजा खटखटाए बिना वरिष्ठता सूची के पहलू पर निर्णय लेने और परिणामस्वरूप चयनित उम्मीदवारों की पैनल सूची पर सवाल उठाने वाली वर्तमान याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
8. अतः, याचिका को वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर खारिज किया जाता है।
9. याचीगण कानून के अनुसार अधिकरण के समक्ष उपचार मांगने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एन.डी./वी.एस.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।